

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

F:\PWD_ASKOTE_LETTER'S\pn\pandey G\PANDEY G Amin\wanbhumi Prastav\January 2017\Askote To Kuto Motor Road

प्रपत्र-23.1

दिनांक:- 22-2-2017 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- खोलिया गाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह	Rajendra Singh
2	कलावती देवी	कलावती देवी
3	पारमिता देवी	कलावती देवी
4	रविंद्र पाल	रविंद्र पाल
5	जगत/विहारी लाल DHO	जगत/विहारी लाल
6	पारमिता देवी पाल	पारमिता देवी
7	राम सिंह पाल	राम सिंह
8	माला देवी कुमारी	माला देवी
9	गोपाल देवी कुमारी	गोपाल देवी
10	ले. गोपाल सिंह	ले. गोपाल
11	विश्व सिंह पाल	विश्व सिंह
12	शमशेर देवी	शमशेर देवी
13	माला देवी पाल	माला देवी
14	गोपाल देवी पाल	गोपाल देवी
15	विश्व देवी पाल	विश्व देवी
16	विश्व देवी पाल	विश्व देवी
17	विश्व देवी पाल	विश्व देवी
18		
19	लक्ष्मण राम	लक्ष्मण राम
20	बनारस सिंह पाल सहायक पंचायत खोलिया	बनारस सिंह
21	हेमराज सिंह धामी	हेमराज सिंह
22	मोहन देवी पाल	मोहन देवी
23	राधिका देवी पाल	राधिका देवी
24	विश्व देवी पाल	विश्व देवी
25	विश्व देवी पाल	विश्व देवी

गोपाल देवी

रविंद्र पाल

गोपाल देवी

गोपाल देवी

रविंद्र पाल

ह0/-
ग्राम प्रधान

सहसंचालक
ग्राम पंचायत- खोलिया गाँव
(असकोट)

प्रधान
ग्राम पंचायत- लेकमकोण्डा
वि०ख० कनालीछोना
(पिथौरागढ़)

ग्राम पंचायत देवल
वि० ख०-कनालीछोना

दिनांक: 24-2-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- देवल

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	वीरगंगा पाल	
2	विनोद	
3	दशरथ सिंह	
4	दीपक रामन	
5	कमलेश महता	
6	नरेशचन्द्र सिंह	
7	पद्म सिंह पाल देव आशुतोष	
8	राजेश कुमार	
9	होमपार सिंह पाल	
10	जीवन सिंह पाल	
11	मोहन सिंह पाल	
12	पद्म सिंह पाल	
13	गिरधर सिंह पाल	
14	अपेक्ष सिंह कुंवर	
15	लक्ष्मीशरण देवल	
16	मानसराज रावत देवल	
17	विष्णु रावत देवल	
18	बेलाश पाल देवल	
19	हेमराज सिंह देवल	
20	मोहन सिंह देवल	
21	गोविन्द सिंह पाल	
22	लक्ष्मी कुंवर	
23		
24		
25		

उप प्रधान
ग्राम पंचायत देवल
सि.प्र. कनारी (विद्यार्थी)

प्रमाण सं. कस्टोड
ग्राम पंचायत देवल

हो / -
ग्राम प्रधान देवल

दिनांक:- 24-2-17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत:- लैगभकांड (दारता, खाड़ियानी एवं इन्वीया)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	राजेन्द्र सिंह	Rajendra Singh
2	कलावती देवी	कलावती देवी
3	नन्दी देवी	- नन्दी देवी
4	अनीता खोलिया	अनीता खोलिया
5	पुरुष सिंह जैसी	Purush Singh
6	ललित सिंह	ललित सिंह
7	लाल सिंह	लाल सिंह
8	दान सिंह	Dan Singh
9	हिरा सिंह	Hira Singh
10	कमला अधिकारी	कमला जैसी
11	जोती	जोती
12	दीपा देवी	दीपा देवी
13	कल्याण सिंह	Kalyan Singh
14	पहेन्द्र सिंह	Pehlu Singh
15	आन सिंह	An Singh
16	हनुली देवी	Hanuli Devi
17	काहू राय	- काहू राय
18	दिवान सिंह खोलिया	Divan Singh
19	दान सिंह जोली	Dan Singh
20		
21		
22		
23		
24		
25		

ग्राम पंचायत देवल
वि० ख०-कनालीछोटा

प्रधान
ह०/लेकमकोण्ड
ग्राम पंचायत-लेकमकोण्ड
वि० ख०-कनालीछोटा

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डीडिहाट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, धारचूला

उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 कि०मी०) (0.00 हे० आरक्षित वन भूमि 3.850 हे० सिविल एवं सोधन वन भूमि 1.065 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.915 हे० वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डीडिहाट) की दिनांक 24-17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बैभव गुप्ता, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री बैभव गुप्ता उपजिलाधिकारी डीडीहाट अध्यक्ष
- 2- श्री सुधीर कुमार उप प्रमाणिक वनाधिकारी डीडीहाट सदस्य
- 3- श्री सुधीर कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी डीडीहाट सदस्य / सचिव
- 4- श्री अनुराधा लो०नि०वि० क्षेत्र डीडीहाट सदस्य
- 5- " सुधीर कुमार लो०नि०वि० क्षेत्र डीडीहाट सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 कि०मी०) परियोजना हेतु 4.915 हे० वनभूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वन अधिकार का कोई मामला लगेबत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रमाणिक वनाधिकारी, अनुराधा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनुरोधित जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 कि०मी०) परियोजना के निर्माण हेतु 4.915 हे० वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को अनुरोधित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सुधीर कुमार
उप प्रमाणिक वनाधिकारी
डीडीहाट
तहसील- पिथौरागढ़
जनपद- उत्तराखण्ड

सुधीर कुमार
उप जिलाधिकारी
डीडीहाट
जिला- पिथौरागढ़
उत्तराखण्ड

सुधीर कुमार
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डीडीहाट
जनपद- पिथौरागढ़

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनाथ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु।

सुधीर कुमार
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- डीडीहाट
जनपद- पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :-

माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

जिला स्तरीय समिति, पिथौरागढ़।

निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00कि0मी0) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.85 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 1.85 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.915 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति, (तहसील डीडिहाट) की दिनांक 21.08.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सी. रविशंकर, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री सी. रविशंकर अध्यक्ष, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

2- श्री डा. विनय भागवत सदस्य, प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़।

3- श्री ए. के. राय सदस्य/सचिव, जिला समाज कल्याण अधिकारी।

4- श्री अमर चन्द सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र डीडिहाट 30305

5- श्री मंजुला बुद्धियाल सदस्य, जिला पंचायत क्षेत्र डीडिहाट।

6- श्री कमलेश आर्या सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र डीडिहाट (मुनस्यारी)

सचिव, द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 कि0मी0) परियोजना हेतु 4.915 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी, वनप्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत माननीय मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट से कूटा मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 10.00 कि0मी0) परियोजना के निर्माण हेतु 4.915 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

जिलाधिकारी
(अध्यक्ष) पिथौरागढ़।

प्रभागीय वनाधिकारी (सदस्य)
(पिथौरागढ़)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
(सदस्य) पिथौरागढ़।

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
क्षेत्र

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
क्षेत्र

जिला पंचायत सदस्य, (सदस्य)
क्षेत्र

सिद्धांत
११/०८/१८

FROM -1
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR PITHORAGARH

No.17.....

Dated...26.12.2017

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter no. 11-9/98-EC(pt) dated 3rd august 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes and with MOEF,s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **4.915** Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Construction Division P.W.D. Askote) for **Construction of Askote to Kuta Moter Road.** (Purpose for diversion of forest land) in Pithoragarh Distt. falls within jurisdiction of **Dewal, Kholiyagaon, Darti, Khariyani, Chabbisa** in **Didihat Tahsils.**

It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out of the entire **4.915** hectares area proposed for diversion A copy of records of all consolation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha (s) sub-division level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required as required under section 3 (2) of FRA have been completed and the Gram Shabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural at communities

Encl: As above

Signature
जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

(Full Name of the official seal of the District Collector)

it is further certified that :

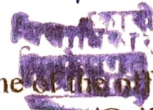
Sl. No.		
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 4.915_hect. of forest area proposed for diversion . A copy of records of all consultation and meetings of the forest rights committee are enclosed an annexure I to annexure.	Yes. Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate of concerned motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.

Encl: As above

Deepan Gupta
(Deepan Gupta)
Executive Engineer
Forest Division P.V.D.
Askote (Bhadracharya)

[Signature]
प्रमाणित वन अधिकारी
विशालगढ़ वन प्रभाग

Signature



(Full Name of the official seal of the District Collector)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravi Shankar I.A.S deputy commissioner Pithoragarh on dated 26.12.07 at time 6.00 P.M. in which application claiming rights in Deval, Kholiyagaon, Darti, Khariyani & chhavisha area measuring 4.915 hect for the construction of Askote Kuta Road (KM-10) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the division level committee of C.D.P.W.D Askote division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pithoragarh
Dated: 26.12.07


जिलाधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee